

मधुमक्खी के छत्ते हटाने व मधु निकासी निविदा सूचना वर्ष 2026

वन अनुसंधान संस्थान

देहरादून

अधिसूचना सं. 0-1(6)/2026/रेंज/सिल्वा/

दिनांक: 02/04/-2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के आरक्षित वन क्षेत्र, व.अ.सं. परिसर, कांवली गार्डन एवं गोल्फ ग्राउंड क्षेत्र में स्थित मधु मक्खियों के छत्तों को हटाने व मधुनिकासी हेतु प्रभाग प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग, वन अनुसंधान संस्थान के नाम से मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

निविदा दाखिल करने की अंतिम तिथि विज्ञापन के संस्थान की वेबसाइट www.fri.icfre.gov.in में प्रकाशित होने से 10 दिन तक है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक. 13/04/2026 प्रातः 10:00 AM बजे प्रभाग प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग, वन अनुसंधान संस्थान के समक्ष रेंज कार्यालय में खोला जाएगा तथा जमानत राशि नगद रु 2,000/- जमा किया जाएगा। निविदा की शर्तें संस्थान की वेबसाइट www.fri.icfre.gov.in पर देखी जा सकती है तथा रेंज कार्यालय दूरभाष 0135-2224418 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रभाग प्रमुख

वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।

नियम एवं शर्तें

1. कार्य का दायरा

वन अनुसंधान संस्थान परिसर, कांवली गार्डन एवं गोल्फ ग्राउंड क्षेत्र से मधुमक्खी के 17 छत्तों को हटाने तथा मधु निकासी किए जाने हेतु प्रति किलो की दर को निर्धारित करने के लिए प्रभाग प्रमुख, वन अनुसंधान संस्थान के नाम से मोहरबंद बोलियाँ आमंत्रित की जाती है। प्राप्त की गयी मोहरबंद बोलियों को प्रभाग प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग, वन अनुसंधान संस्थान के समक्ष रेंज कार्यालय में खोला जाएगा।

2. तकनीकी विनिर्देश

- चयनित निविदाकर्ता को कायदेशि प्राप्त के 15 दिन के भीतर मधुमक्खी के छत्तों को हटाने व मधु निकासी का कार्य समाप्त करना होगा।
- चयनित निविदाकर्ता छत्तों को हटाने व मधु निकासी में उपयोग होने वाली सामग्री का प्रबंध तथा अपने साथ लाये मजदूरों के रहने की व्यवस्था स्वयं वन अनुसंधान संस्थान परिसर से बाहर करनी होगी।
- छत्तों को हटाने व मधु निकासी का कार्य रेंज स्टाफ की देखरेख में प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक केवल कार्यदिवस के दौरान ही किया जाएगा।
- चयनित पक्ष एवं उनके मजदूर वन अधिकारियों के आदेशो एवं निर्देशों का पालन करेंगे।
- छत्तों को हटाने का कार्य सावधानीपूर्वक किया जाना है ताकि मधुमक्खियों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। इसके अतिरिक्त वन संपदा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- छत्तों को हटाने एवं एकत्रित किए गए शहद को छानने व साफ करने के पश्चात शहद को तोलने का कार्य रेंज अधिकारी के समक्ष कार्य-समय के दौरान ही किया जाएगा।
- शहद पर पूर्णाधिकार प्रभाग प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन का होगा।

3. EMD मूल्य

रु 2,000/- मूल्य की धनराशि को EMD / जमानत राशि के तौर पर वन क्षेत्राधिकारी के समक्ष नगद जमा करानी होगी। अचयनित होने की दशा में जमा की गयी EMD / जमानत राशि रु 2,000/- को तुरंत वापिस कर दिया जाएगा। चयनित पक्ष द्वारा जमा की गयी EMD / जमानत राशि रु 2,000/- को कार्य को संतोषजनक रूप से सम्पन्न करने के पश्चात वापिस कर दिया जाएगा।

4. निविदाकर्ताओं हेतु निर्देश

निविदाकर्ता पात्रता मानदंड रुचि की अभिव्यक्ति, EMD/ जमानत राशि की शर्तों को भलीभाँति देख ले। प्रभाग प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग, वन अनुसंधान संस्थान की पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकते है।

5. टेंडर रद्द / दंड

कार्य तय सीमा पर पूरा ना करने पर, अपूर्ण छोड़े जाने अथवा वन अनुसंधान संस्थान परिसर में किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए जाने की स्थिति में तथा प्रभाग प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग, वन अनुसंधान संस्थान के स्वविवेक से टेंडर रद्द कर दिया जाएगा तथा प्रतिभूति जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

6. अयोग्यता

अधूरे भरे गए प्रपत्र और उचित संलग्नको के बिना जमा किए गए निविदाकर्ताओं के आवेदनों को अमान्य माना जाएगा।

प्रभाग प्रमुख

वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।